न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 48 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
खेताराम पुत्र गुदडराम जाति रेगर निवासी बलून्दा तहसील जैतारण		1 भंवरूराम पुत्र बालूराम जाति रेगर निवासी बलून्दा तहसील जैतारण 2 उप पंजीयन अधिकारी जैतारण व तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 अनुपस्थित।
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 21·3·18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1186 / 2016 भंवरूराम बनाम खेताराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 06.6.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अपीलाण्ट को जैर अपील वादस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया तथा न ही अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की खरीदसुदा भूमि है, जिसका अपीलाण्ट रेकर्डेड खातेदार है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार की सहमति व्यक्त नहीं की, न ही आदेशिका पर अपीलाण्ट अथवा अधिवक्त अपीलाण्ट के हस्ताक्षर है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए आपत्ति व्यक्त नहीं करना अंकित करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1186/2016 भंवरूराम बनाम खेताराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 06.6.2016 को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ग्राम बलून्दा के खसरा नम्बर 1784 रकबा 10–04 बीघा की भूमि का खातेदार तीजकी द्वारा स्वयं के पक्ष में वसीयत होना बताते हुए उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कराने का अनुतोष चाहा तथा राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज होने के कारण मूल वाद के निस्तारण तक वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करने हेतु अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.06.2016 को वकील प्रतिवादी /अपीलाण्ट द्वारा वकील प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करने के कारण उसे स्वीकारोक्ति मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अब अपीलाण्ट द्वारा उक्त तथ्य से मुकरना विधि विरूद्ध है तथा अपीलाण्ट इससे एस्टोप्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समक्ष दोनों पक्षों की सहमति से जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1186/2016 भंवरूराम बनाम खेताराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 06.6.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली